



मध्यप्रदेश राजपत्रा (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2017—फाल्गुन 30, शक 1938

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2017

क्र. 66-25-2017-आनीविड-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 झ के खण्ड (1) तथा अनुच्छेद 243 म के खण्ड (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, पांचवां राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं जिसमें श्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष तथा मिलिन्द वाईकर, सदस्य-सचिव होंगे।

2. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पृथक् से की जावेगी।

3. आयोग के अध्यक्ष दिनांक 20 मार्च, 2017 से तथा सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना पद ग्रहण करते हैं, 31 जनवरी, 2018 तक पद धारण करेंगे।

4. आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों (टी.ओ.आर.) के संबंध में पृथक् से अधिसूचना जारी की जायेगी।

5. आयोग पैरा 4 में सन्दर्भित अधिसूचना में अंकित विषय पर 01 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी, 2018 तक प्रस्तुत करेगा।

No. 66-25-2017-EPAU-IV.—In pursuance of the provisions Clause (1) of Article 243-I and Clause (1) of Article 243-Y of the Constitution of India, read with Section 3 of Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh, hereby, constitutes the Vth State Finance Commission consisting of Shri Himmat Kothari as Chairman and Shri Milind Waikar, Member-secretary.

2. Appointment of members of the Commission shall be made separately.

3. Chairman of the Commission from 20th March, 2017 and members from the date on which they assume their offices, shall hold offices upto 31st January, 2018.

4. A Notification in respect of terms of reference (TOR) shall be issued separately.

5. The Commission shall make its report available by 31st January, 2018 on the matter mentioned in the Notification referred in Para 4 above, covering a period of five years commencing on the 1st day of April, 2018 to the Governor.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत प्रकाश श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 मई 2017—ज्येष्ठ 8, शक 1939

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2017

क्र. 114-25-2017-आनीविड़ि-चार.—मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 66-25-2017आनीविड़ि-चार, दिनांक 20 मार्च 2017 के अनुक्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 3 सन् 1994) की धारा 3 के उपबंधों के अनुसरण में, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, श्री के. एम. आचार्य, को राज्य वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2017

पृ. क्र. 115-25-2017-आनीविड़ि-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 384 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, सचिव.

Bhopal, the 29th May 2017

No. 114-25;2017-EPAU-IV.—In pursuance of the provisions Clause (1) of Article 243-I and clause (1) of Article 243-Y of the Constitution of India, read with Section 3 of the Madhya Pradesh Rajya Vitta Ayog Adhiniyam, 1994 (No. 3 of 1994), the Governor of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri K. M. Acharya as Member, State Finance Commission.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANIRUDDHE MUKERJEE, Secy.